

उत्तर प्रदेश शासन

पशुधन अनुभाग-1

संख्या-61/2016/2654/37-1-2016-9(17)/2013टी0सी0

लखनऊ दिनांक 25 अक्टूबर, 2016

कार्यालय आदेश

डा० एस०के० अग्रवाल, संयुक्त निदेशक, ईपीडिमियोलाजी, मुख्यालय को कार्यालय आदेश संख्या-1654/37-1-2016-9(17)/2013टी0सी0, दिनांक 24 जून, 2016 द्वारा उ०प्र० पशुधन विकास परिषद में अग्रिम आदेशों तक सम्बद्ध किया गया था।

2- एतद्वारा श्री राज्यपाल डा० एस०के० अग्रवाल, संयुक्त निदेशक, ईपीडिमियोलाजी, मुख्यालय की उपरोक्तानुसार उ०प्र० पशुधन विकास परिषद से की गई सम्बद्धता को निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करते हैं।

3- सम्बन्धित अधिकारी तत्काल आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

डा० सुधीर एम० बोबडे

प्रमुख सचिव।

संख्या-61/2016/2654(1)/37-1-2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- 2- निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- 3- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ०प्र० पशुधन विकास परिषद, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वह डा० एस०के० अग्रवाल, संयुक्त निदेशक, ईपीडिमियोलाजी, मुख्यालय को तत्काल कार्यमुक्त करने का कष्ट करें।
- 4- सम्बन्धित अधिकारी।
- 5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राहुल सिंह)

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।